इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 586] भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 नवम्बर 2022—कार्तिक 16, शक 1944

जनजातीय कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2022

क्र. एफ 4-89-2018-1-पच्चीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, ''मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग (सेवा एवं भर्ती) नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में,—

(1) उप-नियम (1) में, शब्द ''दो वर्ष'' के स्थान पर, शब्द ''पांच वर्ष'' स्थापित किये जाएं.

(2) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(4) शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए अंकों का प्रवर्गवार न्यूनतम प्रतिशत निम्नानुसार होगा, अर्थात्:—

शिक्षक श्रेणी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग व्यक्ति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अन्य
(1)	(2)	(3)
उच्च माध्यमिक शिक्षक	50 प्रतिशत	60 प्रतिशत
माध्यमिक शिक्षक	50 प्रतिशत	60 प्रतिशत
प्राथमिक शिक्षक	50 प्रतिशत	60 प्रतिशत

No. F-4-89-2018-1-XXV.—In exercise of the powers conferred by the proviso article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Tribes and Scheduled Castes Teaching Cadre (Service and Recruitment) Rules, 2018, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 11,—

(1) in sub-rule, (1) for the wores "two years", the words "five years" shall be substituted.

(2) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(4) The Category wise minimum percentage of marks to qualify in the Teacher Eligibility Examination shall be as Under:—

Class of Teacher	Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/Persons with disabilities/Economically weakers sections	Others
(1)	(2)	(3)
Upper Middle Teacher	50%	60%
Middle Teacher	50%	60%
Primary Teacher	50%	60%

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिशा प्रणय नागवंशी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.